क्रमांक : 3602

सेवा में, दिनांक : 23.01.2026

श्रीमान उप वन संरक्षक
अजमेर,
राजस्थान।

विषय : Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan. (Proposal No.: FP/RJ/ROAD/33196/2018)

संदर्भः– शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 एवं आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ 18( )एफसीए/उवसं/2023–24/1276 दिनांकः– 09.02.2024 एवं एफ18( )एफसीए/उवसं/2025–26/7447 दिनांकः– 15.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आर्नेलाईन प्रस्ताव संख्या : FP/RJ/ROAD/33196/2018

क्र. स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1-	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2-	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3-	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4-	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी

	के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8-	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।
9-	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिषा निर्देषों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिषा निर्देषों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
10-	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राषि OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराषि **2,17,143/–** रुपये (कुल 1,97,333 + 19,810 = 2,17,143/– रूप्ये) वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
11-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995

	202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राषि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेषों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराषि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राषि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राषि 8,33,269/– रुपये दिनांक ई–चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
12-	प्रयोक्ता अभिकरण इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राषि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राषि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
13-	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
14-	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11. 2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिष्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाषित होने वाले एक–एक समाचार पत्र	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाषित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाषित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां

	में अक्षरषः प्रकाषित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिष्चित करे।	स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/33196/2018** 3602 दिनांक : **23.01.2026**

शपथ–पत्र

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

मैं हजारी लाल अग्रवाल, अधिशाषी अभियन्ता शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि–

1. यह है कि मिकर एक भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड–अजमेर का ॲटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
10. एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्राप्त कर लिया गया है।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिषा निर्देषों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिंकरण की पूर्णतया सहमति है।
12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में

वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराषि **2,17,143/–** रुपये (कुल 1,97,333 + 19,810 = 2,17,143/– रूप्ये) वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से जमा करवा दी गई है।

13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राषि 8,33,269/– रुपये दिनांक ई–चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है।
14. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राषि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाषित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाषित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(हजारीलाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/33196/2018** 3602

दिनांक : **23.01.2026**

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/33196/2018** 3602 दिनांक : **23.01.2026**

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

<u>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–2 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
(अधिशाषी अभियन्ता)
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/33196/2018** 3602 दिनांक : **23.01.2026**

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/33196/2018** 3602 दिनांक : **23.01.2026**

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–4 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/33196/2018 3602

दिनांक : 23.01.2026

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–5 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/33196/2018** 3602 दिनांक : **23.01.2026**

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–6 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/33196/2018 3602 दिनांक : 23.01.2026

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–7 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/33196/2018** 3602 दिनांक : **23.01.2026**

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–8 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्राप्त कर लिया गया है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/33196/2018** 3602 दिनांक : **23.01.2026**

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–9 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (9) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/33196/2018** 3602 दिनांक : **23.01.2026**

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–10 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (10) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराषि **2,17,143/–** रुपये (कुल 1,97,333 + 19,810 = 2,17,143/– रूप्ये) वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से जमा करवा दी गई है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/33196/2018** 3602

दिनांक : **23.01.2026**

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–11 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राषि 8,33,269/– रुपये दिनांक ई–चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/33196/2018** 3602

दिनांक : **23.01.2026**

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–12 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (12) की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राषि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/33196/2018 J602

दिनांक : 23.01.2026

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–13 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (13) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/33196/2018** 3602 दिनांक : **23.01.2026**

Project Name: Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata km 0/0 to 2/500 km in Majewala, District- Ajmer, Rajasthan.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/33196/2018

Date of Submission: 22/04/2018

Applied Area: 0.87 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–14 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (31) वन/2022 दिनांक 12–05–2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाषित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

(हजारी लाल अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड अजमेर

Form -1
(for linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector Ajmer

No.:-CA/REV/2026/ 281

Dated As Signature

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.87 hectare of forest land in Gram and Gram panchayat Khori forest division Ajmer proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, P,W,D, District Div. Ajmer for Construction of BT road from Majewala to Pachmata falls within jurisdiction of Majewala to Pachmata villages in Pushkar Tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 0.87 Hectare of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residning in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of the meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 21 annexures.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it. Not Applicable

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

(Lok Bandhu)
District Collector, Ajmer

Document certified by LOK BANDHU <LOKBANDHU001@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by Lok Bandhu
Designation : Collector & District Magistrate
Date :15-01-2026 09:08:47

RajKaj Ref No.: 19934435
eSign DSC

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण :–

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.01.2025 को सांय 04.30 बजे श्रीमान जिला कलक्टर, अजमेर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई :–

प्रस्ताव संख्या 1 :– General Manager, Rajasthan IV 4B Power Transmission Limited ने पत्र क्रमांक FP/RJ/PWR_TRANS/536743/2025 दिनांक 19.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा मेड़ता से दौसा 765 के0वी0 ट्रांसमिशन लाइन का कार्य किया जा रहा है, तथा उक्त कार्य से प्रभावित हो रही **तहसील रूपनगढ़ के राजस्व ग्राम निदूटी के खसरा नम्बर 720/461 रकबा 1.6503 है0 में से 7839 वर्गमीटर** के प्रत्यर्पण तथा एफ आर ए सर्टिफिकेट जारी करने का निवेदन किया है।

इस सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 10.11.2025 में प्रकरण में एफआरए प्रमाणपत्र जारी करने की अनुशंषा की गयी। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा उक्त प्रकरण मे विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है । अतः General Manager, Rajasthan IV 4B Power Transmission Limited द्वारा चाहा जा रहा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 2 :– अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड अजमेर ने पत्र क्रमांक 3090 दिनांक 15.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा तहसील पुष्कर क्षेत्र में ग्राम मझेवला से पंचमाता मंदिर तक सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, तथा उक्त कार्य से प्रभावित हो रही **8700 वर्गमीटर** के प्रत्यर्पण तथा एफ आर ए सर्टिफिकेट जारी करने का निवेदन किया है।

इस सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 15.10.2025 में प्रकरण में एफआरए प्रमाणपत्र जारी करने की अनुशंषा की गयी। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा उक्त प्रकरण मे विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है । अतः अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड अजमेर द्वारा चाहा जा रहा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,अजमेर	**उप वन संरक्षक, अजमेर**	**जिला कलक्टर अजमेर**	**उपखण्ड अधिकारी पुष्कर**
उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़	**अधिशासी अभियन्ता सा नि विभाग जिला खण्ड अजमेर**	**General Manager, Raj Power Transmission Ltd.**	

क्रमांक :– कअ/राजस्व/एफआरए/2026/ 214-20 दिनांक :– 10/1/2026

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है –

1. उप वन संरक्षक, वन विभाग, अजमेर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर।
3. उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर/रूपनगढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा उ मार्ग खण्ड अजमेर।
5. General Manager, Rajasthan IV 4B Power Transmission Limited.
6. वरि. निजी सचिव, श्रीमान जिला कलक्टर अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अति.जिला कलक्टर (प्रशा.),एवं
प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा,
कलक्ट्रेट अजमेर

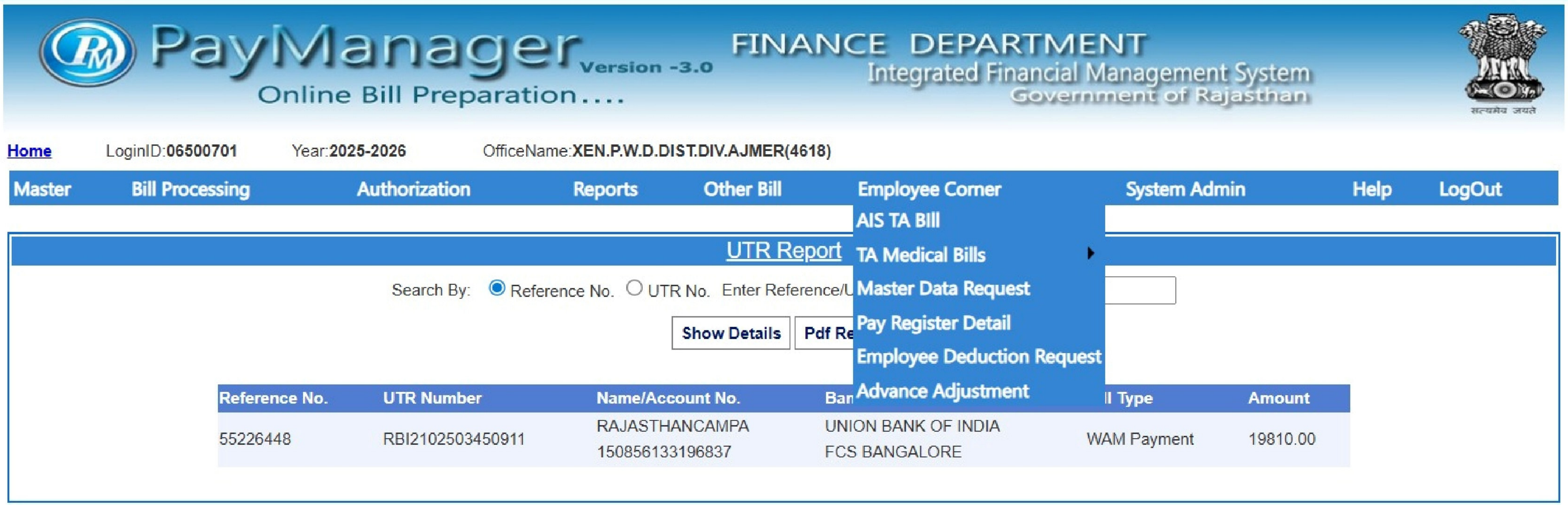
PayManager Version -3.0
Online Bill Preparation....
FINANCE DEPARTMENT
Integrated Financial Management System
Government of Rajasthan
Home
LoginID:06500701
Year:2025-2026
OfficeName:XEN.P.W.D.DIST.DIV.AJMER(4618)
Master
Bill Processing
Authorization
Reports
Other Bill
Employee Corner
System Admin
Help
LogOut
AIS TA Bill
TA Medical Bills
Master Data Request
Pay Register Detail
Employee Deduction Request
Advance Adjustment
UTR Report
Search By: Reference No. UTR No. Enter Reference/U
Show Details
Pdf Re
Reference No.
UTR Number
Name/Account No.
Ban
l Type
Amount
55226448
RBI2102503450911
RAJASTHANCAMPA
150856133196837
UNION BANK OF INDIA
FCS BANGALORE
WAM Payment
19810.00

WORKS ACCOUNT MONITORING SYSTEM

Public Works Department, Jaipur

XEN.P.W.D.DIST.DIV.AJMER

Financial Year: 2
Version:

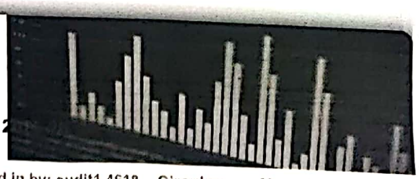

Date: 19-Jan-2026 Active Users:208 , Auto Logout after 19:04Minutes Logged in by: audit1.4618 Circulars Manual Logout

Master Options Allocations v/s Expenditures Treasury Processing Add New Transaction Reports Archive (Old Years Data)

Treasuey Vocuhers

Select criteria again

Treasury Vouchers (Criteria: VendorType: Govt Dept / Agency, Vendor: RAJASTHAN CAMPA)

Sno	RefNo	BillDate	BillNo/GRNNo	BillType	Budget Head	GrossAmt	VendorName	NetAmt	TVNo/ChallanNo	TVDate	When Udpated From PayManager
1.	1723713				5054-04-337-20-01-74-V-P	22385	RAJASTHAN CAMPA	19810	1611676	29/07/2025	treasury forward
2.	1705940				5054-04-337-20-01-74-V-P	881400	RAJASTHAN CAMPA	780000	1475304	14/07/2025	treasury forward
3.	1499307				5054-04-789-05-00-74-V-P	248600	RAJASTHAN CAMPA	220000	109439	06/03/2025	treasury forward
4.	1499306				5054-04-796-07-00-74-V-P	34580	RAJASTHAN CAMPA	30602	109440	06/03/2025	treasury forward

Scanned with OKEN Scanner

PayManager Version 3.0 Online Bill Preparation....

FINANCE DEPARTMENT
Integrated Financial Management System
Government of Rajasthan

Home LoginID:**06500701** Year:**2025-2026** OfficeName:**XEN.P.W.D.DIST.DIV.AJMER(4618)**

Master Bill Processing Authorization Reports Other Bill Employee Corner System Admin Help LogOut

UTR Report

Search By: ● Reference No. ○ UTR No. Enter Reference/UTR No. : 55049026

Show Details | Pdf Report

Reference No.	UTR Number	Name/Account No.	Bank/Branch Name	Bill Type	Amount
55049026	RBI1962585741341	RAJASTHANCAMPA 150856133196837	UNION BANK OF INDIA FCS BANGALORE	WAM Payment	780000.00

Application Designed,Developed & Hosted By National Informatics Centre.
Contents Provided By Department of Treasuries and Accounts,Rajasthan
NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Scanned with OKEN Scanner

PayManager Version -3.0
Online Bill Preparation....

FINANCE DEPARTMENT
Integrated Financial Management System
Government of Rajasthan

Home LoginID:06500701 Year:2025-2026 OfficeName:XEN.P.W.D.DIST.DIV.AJMER(4618)

Master Bill Processing Authorization Reports Other Bill Employee Corner System Admin Help LogOut

UTR Report

Search By: ● Reference No. ○ UTR No. Enter Reference/UTR No. : 53867717

Show Details Pdf Report

Reference No.	UTR Number	Name/Account No.	Bank/Branch Name	Bill Type	Amount
53867717	RBI0662582896435	RAJASTHANCAMPA 150856133196837	UNION BANK OF INDIA FCS BANGALORE	WAM Payment	30602.00

Application Designed,Developed & Hosted By National Informatics Centre.
Contents Provided By Department of Treasuries and Accounts,Rajasthan

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Scanned with OKEN Scanner

PayManager Version -3.0 Online Bill Preparation....

FINANCE DEPARTMENT
Integrated Financial Management System
Government of Rajasthan

Home LoginID:**06500701** Year:**2025-2026** OfficeName:**XEN.P.W.D.DIST.DIV.AJMER(4618)**

Master | Bill Processing | Authorization | Reports | Other Bill | Employee Corner | System Admin | Help | LogOut

UTR Report

Search By: ◉ Reference No. ○ UTR No. Enter Reference/UTR No. : 53867707

Show Details | Pdf Report

Reference No.	UTR Number	Name/Account No.	Bank/Branch Name	Bill Type	Amount
53867707	RBI0662582896434	RAJASTHANCAMPA 150856133196837	UNION BANK OF INDIA FCS BANGALORE	WAM Payment	220000.00

Application Designed,Developed & Hosted By National Informatics Centre.
Contents Provided By Department of Treasuries and Accounts,Rajasthan

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] specifications, please refer to https://eproc.punjab.gov.in from 26-08-2025 from 03.00 PM onwards.

NOTE: Corrigendum and addendum, if any will be published online at https://eproc.punjab.gov.in

No. 2379/YB

GHTP-44/25

NAME CHANGE

I, RAGAVAN V [illegible] Bodarapalli, PO Kundarapalli, Dist Krishnagiri, State Tamil Nadu, 635115, I have change of my Son name (minor) RAGAVAN V. That both names RAGAVAN and RAGAVAN V pertain to one and the same person. Now I should be known and identified by the name RAGAVAN V only.

NAME CHANGE

I, PREETI KAMANNA HEGGAR [illegible] Daughter of No [illegible] Rank SUB (GMN) Name KAMANNA HEGGAR Residing at Vill & Post Yankanchi S.B. Teh Badami Dist Bagalkot, State Karnataka, 587201. I have change of my Daughter name (minor) PREETI to PREETI KAMANNA HEGGAR. That both names PREETI and PREETI KAMANNA HEGGAR pertain to one and the same person. Now I should be known and identified by the name PREETI KAMANNA HEGGAR only.

RTDC HOTEL CASTLE JHOOMAR BAORI, SAWAI MADHOPUR

RTDC HOTEL CASTLE JHOOMAR BAORI, SAWAI MADHOPUR

NIB No. :- 109 Date :- 21/08/2025

NOTICE FOR INVITING E-BID

Bids are invited from experienced, technically and financially sound reputed eligible bidders for "Procurement of Human Resource Services for Hotel Castle Jhoomar baori (sawai madhopur), Hotel Vinayak (sawai madhopur), Hotel Gavdi Talab (Bhalawar) Last Date of submission of Bid is 10-09-2025 Detailed Bid Document for the Work can be downloaded from procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in), https://sppp.rajasthan.gov.in) of the state and/or www.rtdc.tourism.rajasthan.gov.in.

NIB : TDC2526A0044, UBN : TDC2526SLOB00071

Raj.Samwad/C/25/8731

Unit Incharge
Hotel Castle Jhoomar Baori, Sawai madhopur

Indian Bank

Zonal Office, 2nd floor, Paras Prime, Paras Circle, Hiran Magri Sector 11, Udaipur. Contact: 9827576390

NOTICE INVITING TENDERS FOR LEASING OF OFFICE PREMISES

Indian Bank, a Public Sector Bank invites tenders under 2 bid system (Technical & Financial Bid) from owners of office premises, willing to offer on lease basis (Readily built /Premises Under construction) at [illegible] Circle Pal Road District Jodhpur, Zonal District Jodhpur measuring 1100 S.ft. to 1200 sq. ft. Carpet area in Ground Floor with parking facility for a lease period of 15 years for setting up their Branch / Office.

The tender forms can be obtained from the following address from Zonal Office, 2nd floor, Paras Prime, Paras Circle, Hiran Magri Sector 11, Udaipur from 27.08.2025 to 18.09.2025. Last date for submission of bids is upto 3.00 PM, 18/09/2025. The technical & financial bid should be separate envelopes along with two DDs Rs.250/- (non refundable) & Rs.5000/-(EMD) favouring INDIAN BANK.

The Bank reserves the right to reject any or all offers without assigning any reasons whatsoever.

Date: 26.08.2025

Details can be obtained from our Website www.indianbank.in

ZONAL MANAGER

Union Bank

Regional Office Udaipur: 1st & 2nd Floor, [illegible], Bhattiyani Main Road, Near [illegible] Circle, Udaipur 313001. Tel: 0294-2411272, 0294-2427364

PREMISES REQUIRED ON LEASE BASIS

Union Bank of India, Barmer's Main Branch requires a well-constructed Commercial Premises in ready possession/under construction (in final Stage) at below mentioned location with adequate parking space for shifting of existing [illegible] Main branch.

Sr No	Area & Centre for which premises Required	Desired Carpet Area	Last date & Time for Submission of bids
1.	1 KM FROM SANTWARA MAIN BRANCH	1700 ± 10% sq. ft.	17.09.2025, 03.00 PM

Prospective vendors holding ownership or power to negotiate on behalf of owners should submit their technical bid and price bid offers in separate sealed cover superscribing technical bid/price bid. For further details & Tender documents, please visit our Bank's website www.unionbankofindia.co.in & e-procurement portal eprocure.gov.in. No brokers or intermediaries please. The Bank reserves its right to accept or reject the offers without assigning any reasons whatsoever.

Regional Head

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

Stressed Assets Recovery Branch, Sector 4, Jawahar Nagar, Jaipur (Raj.)-302004

Phone: [illegible], Email: [illegible]

APPENDIX-IV (See Rule 8(1))

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY

Whereas,

The undersigned being the Authorised Officer of the State Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice U/s 13(2) dated 03.04.2025, calling upon the Borrower M/s WS Clean and Care through Proprietor Smt Maya W/O Sh Ashok Sadhu and Guarantor Sh Dinesh Kumar Goyal S/O Sh Madan Lal Goyal to repay the amount mentioned in the notice being Rs.44,21,936/- (Rupees Forty Six Lakh Twenty One Thousand Nine Hundred Thirty Six only) as on 03.04.2025 with further interest from 04.04.2025 until payment in full within 60 days from the date of said notice.

The Borrower's / Mortgagor's / Guarantor's having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub Section (4) of Section 13 of Act read with the Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 21 day of August of the year 2025.

The Borrower's / Mortgagor's/Guarantor's in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India for an amount of Rs.30,61,246/- (Rupees Thirty Lakh Sixty One Thousand Two Hundred Forty Six only) as on 20.08.2025 and further interest from 21.08.2025 Costs, etc. thereon.

The Borrowers attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Description of Immovable Property

Property owned by: Sh Dinesh Kumar Goyal S/o Sh Madan Lal Goyal

1.) All that part and parcel of the property consisting of Plot No. B-177, Florence Town, Revenue Village Manpur Tilawala, Tehsil Sanganer, Jaipur (Raj.) Admeasuring:- 200 sq yards. Bounded by: On the North by Road, On the South by Other's Land, On the East by: Plot No. 176, On the West by: Plot No. 178

2.) All that part and parcel of the property consisting of Plot No. B-178, Florence Town, Revenue Village Manpur Tilawala, Tehsil Sanganer, Jaipur (Raj.) Admeasuring:- 200 sq yards. Bounded by: On the North by Road, On the South by Other's Land, On the East by: Plot No. 177, On the West by: Plot No. 179

3.) All that part and parcel of the property consisting of Plot No. B-179, Florence Town, Revenue Village Manpur Tilawala, Tehsil Sanganer, Jaipur (Raj.) Admeasuring:- 200 sq yards. Bounded by: On the North by Road, On the South by Other's Land, On the East by: Plot No. 178, On the West by: Plot No. 180

4.) All that part and parcel of the property consisting of Plot No. B-180, Florence Town, Revenue Vi Tilawala, Tehsil Sanganer, Jaipur (Raj.) Admeasuring:- 200 sq yards. Bounded by: On the North by Road, On the South by Other's Land, On the East by: Plot No. 179, On the West by Plot No. 181

Date : 21.08.2025, Place : Jaipur

Authorised Officer, State Bank of India

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

PHYSICAL POSSESSION NOTICE

Registered Office: Radhika, 2nd Floor, Law Garden Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat. Pin Code [illegible] BRANCH OFFICE: E-145, Second Floor, Ramesh Marg, Opp [illegible] Marg, C-Scheme, Jaipur Rajasthan- 302001

Whereas, The Authorised Officer Of HDB Financial Services Limited Under The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (54 Of 2002) And In Exercise Of Powers Conferred Under Section 13(12) Read With Rules 3 Of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Issued Demand Notice To The Borrowers As Detailed Hereunder, Calling Upon The Borrowers To Repay The Amount Mentioned In The Said Notice With All Costs, Charges And Expenses Till Actual Date Of Payment Within 60 Days From The Date Of Receipt Of The Same. The Said Borrowers/co-borrower Having Failed To Repay The Amount, Notice Is Hereby Given To Borrower/co-borrower And The Public In General That The Undersigned In Exercise Of Powers Conferred On It Under Section 13(4) Of The Said Act Read With Rule 8 Of The Said Rules Has Taken Physical Possession Of The Property Described Hereunder On The Date Mentioned Alongwith. The Borrowers In Particular And Public In General Are Hereby Cautioned Not To Deal With The Property And Any Dealings With The Property Will Be Subject To The Charge Of HDB Financial Services Limited For The Amount Specified Herein With Future Interest, Costs And Charges From The Respective Date. Details Of Borrower/ Co-borrower/guarantors, Loan Account Number, Loan Amount, details Of Security, Date Of Demand Notice, Claimed Amount, Date Of Possession Are Given Herein Below:

1) NAME AND ADDRESS OF THE BORROWER/CO-BORROWER/GUARANTOR; 2) LOAN ACCOUNT NUMBER; 3) LOAN AMOUNT; 4) DATE OF DEMAND NOTICE; 5) CLAIMED AMOUNT IN INR; 6) DETAILS OF SECURITIES; 7) DATE OF POSSESSION

NAME OF THE BORROWER & CO-Borrowers : 1. Jairaj Hostel, 483, Mahaveer Nagar II nd Kota- 324005 Rajasthan, 2. M/s Jairaj Hostel, 483, Mahaveer Nagar II nd Kota- 324005 Rajasthan, 3. Pintal Mukesh Agrawal, 483, Jairaj Hostel, Mahaveer Nagar II nd Kota- 324005 [illegible] Talab Kota- 324005 Rajasthan, And Also- 480, M.N.I.I.L, 436 M.N.I.L A-V Kota- 324005 Rajasthan, 4. Mukesh [illegible] Agrawal, 483, Jairaj Hostel, Mahaveer Nagar II nd Kota- 324005 [illegible] Talab Kota- 324005 Rajasthan. LOAN ACCOUNT NO. 14670251, 10710079, 8264489. LOAN AMOUNT: Rs. 27,41,40/-(in words Rupees Two Lakhs Seven Four Thousand One Hundred Forty Only) by the loan account number 14670251 And Rs. 58,30,000/- (Rupees Fifty Eight Lakhs Thirty Thousand Only) by the loan account number 10710079 and And Rs. 14,38,450/- (Rupees Sixteen Lakhs Thirty Six Thousand Four Hundred Fifty Only) by the loan account number 8264489. DEMAND NOTICE DATE : 13.08.2024, AMOUNT CLAIMED: Rs. 58,74,786.86/-(in words Rupees Fifty Six Lakhs Seventy Four Thousand Seven Hundred Eighty Six and Paise Eighty Six Only) as on 08.08.2024 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc. SCHEDULE OF THE SECURITIES I: All that Piece and Parcel of Property Shop No. 8, Mahaveer Nagar I, Kota- 324007 Rajasthan Size of Land 231 Sq. Fts. Without Roof Right, Property Bounded As :- North- Remaining part Of Plot no. 482, South- Plot No. 7, East- Road, West- Remaining part Of Plot no. 482. SCHEDULE OF THE SECURITIES II: All that Piece and Parcel of Property House No. 483 Corner, Mahaveer Nagar II, Kota- 324007 Rajasthan Size of Land 630 Sq. Mts. Property Bounded As :- North- Remaining part Of Plot no. 482, South- Remaining part Of Plot no. 483, East- Road, West- Plot no. 484. DATE OF PHYSICAL POSSESSION: 24.08.2025

NAME OF THE BORROWER & CO-Borrowers : 1. Tejmal Singh Bhawan, 14 A Block B, Near Kalakund, New Colony, Gumanpura Kota-324007 Rajasthan, Also At:- House No. 14 A, New Colony Gumanpura Tehsil Ladpura Dist Kota-324007 Rajasthan, 2. Surendra Singh Bhawan, 14 A Block B, Near Kalakund, New Colony, Gumanpura Kota-324007 Rajasthan, 3 [illegible] Bhawan, 14 A Block B, Near Kalakund, New Colony, Gumanpura Kota-324007 Rajasthan. LOAN ACCOUNT NO. 3430298, LOAN AMOUNT: Rs. 30,00,000/-(in words Rupees Thirty Lakhs Only) DEMAND NOTICE DATE : 25.04.2024 AMOUNT CLAIMED: Rs. 26,52,041.40/-(in words Rupees Twenty Six Lakhs Fifty Two Thousand Forty One and Paise Forty Only) as on 25.04.2024 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES:- All the piece and Parcel Of the Property Bearing Part of House No. -14 A, New Colony, Gumanpura Tehsil Ladpura District Kota-324007 Rajasthan, measuring - 900 Sq. Fts. Property Bounded as:-East - Road, West- Rest Part of House No. 14 A, South- Road, North- Part of House. DATE OF PHYSICAL POSSESSION: 25.08.2025

THE BORROWERS' ATTENTION IS INVITED TO PROVISIONS OF SUB SECTION (8) OF SECTION 13 OF THE ACT IN RESPECT OF TIME AVAILABLE TO REDEEM THE SECURED ASSET.

FOR ANY QUERY PLEASE CONTACT Mr. Mohd Mahmood, 9772167879, HDB Financial Services Limited, BRANCH OFFICE: E-115 Second Floor, Ramesh Marg, Opp [illegible] Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan - 302001

Place: JAIPUR
Date: 27/08/2025

Sd/- For HDB Financial Services Limited, Authorised Officer

YES BANK — YES BANK LIMITED

Branch Office: [illegible], Jaipur - Raj. - 302001. Registered Office: Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055

APPENDIX IV [Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas,

The undersigned being the Authorized Officer of Yes Bank Limited under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice dated 20-Jun-2025 calling upon the Borrower Mr. Shankar Lal Dhakar (Borrower), Mrs. Jaisi Devi (Co-Borrower) vide loan account number [illegible] to repay the amount mentioned in the said notice being Rs. 45,11,972.77/- (Rupees Forty Five Lakhs Eleven Thousand Nine Hundred Seventy Two and Paise Seventy Seven Only) as on 20-Jun-25 together with further interest and other charges thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower, Co-Borrowers, Mortgagors, and Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower, Co-Borrowers, Mortgagors, Guarantors, and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 21st day of August of the year 2025.

The Borrower, Co-Borrowers, Mortgagors and Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Yes Bank Limited for an amount Rs. 45,11,972.77/- (Rupees Forty Five Lakhs Eleven Thousand Nine Hundred Seventy Two and Paise Seventy Seven Only) as on 20-Jun-25 and interest and costs thereon.

The Borrowers/Mortgagors attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

All that piece and parcel of Patta No. 1293, Sankalp No. 1, Gram Bakhtpura, Gram Panchayat Bakhtpura, Panchayat Samiti Mandalgarh, Tehsil Mandalgarh, Dist. Bhilwara, Rajasthan Admeasuring 33,874 Sq. Ft. and owned by Shankar Lal Dhakar and same bounded as under:

North: House of Hans Ji Dhakad — South: House of Bheru Ji Dhakad
East: Aam Rasta — West: House of Nana Ji Dhakad

Date : 21/08/2025 | Place: Bhilwara

sd/- For YES BANK Limited
Authorised Officer

NAME CHANGE

I, P SANGEETHA is legally Spouse of No. JC837A1 [illegible] Rank Hony Lt Name P SARAVANA KUMAR Residing at 70 [illegible] Kovil Street, Vill Kattyur Ramapuram, Post Varur Teh Vadalur, Dist Ranipet, state Tamil Nadu 632514, I have changed my name from PALANI SANGEETHA to P SANGEETHA. That both names PALANI SANGEETHA and P SANGEETHA pertain to one and the same person. Now I should be known and identified by the name P SANGEETHA only.

NAME CHANGE

I NIRANJAN MAHADEVAPPA SOMANNAVAD is legally Son of No. JC [illegible] Rank SUB MAJ Name MAHADEVAPPA SOMANNAVAD Residing at Vill & PO Tegur, VTC Dharwad, Po Dharwad RS, Sub Dist Hubli, Dist Dharwad State Karnataka 580007. I have change of my son name (minor) NIRANJAN to NIRANJAN MAHADEVAPPA SOMANNAVAD. That both names NIRANJAN and NIRANJAN MAHADEVAPPA SOMANNAVAD pertain to one and the same person. Now I should be known and identified by the name NIRANJAN MAHADEVAPPA SOMANNAVAD only.

Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office : 802, Natraj By Rustomjee, Western Express Highway, Sir M.V. Road, Andheri East, Mumbai-400069, Maharashtra

Ajmer Branch Office: A.M.C. No. 905/32 (New)/ 881 (Old), Plot No. 14, 2nd Floor, Opp. Chopati Ana-Sagar Circle Road, Ajmer District - Ajmer

Jodhpur Branch Office: Samriddhi, 817,A-1,First Floor, Chopasni Road, Jodhpur-342001 (Rajasthan) District - Jodhpur

E- AUCTION – SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Properties under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" with no known encumbrances Particulars of which are given below:-

Borrower(s) Co-Borrower(s) Guarantor (S)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property	Reserve Price (RP)	Earnest Money Deposit (EMD) (10%)	Nature of Possession
(Loan Code: 84410000843 of Ajmer Branch), Samsherkhan Tanwar (Borrower), Nema Begam (Co-Borrower1) Saddam Husain (Guarantor1)	10-Apr-24 Rs. 502274/-	All That Part And Parcel Of Property Bearing - Patta No. 14, Kh. No.- 3862, Rawaton ka Bas, Ragaron ki Gali, Kayad, Ajmer, Ward No.-07, Kayar, Ajmer, Rajasthan, 305023 Bounded by: East: Road West: Way to House than Public Road North: House of Rajak South: Road	Rs. 9,81,000/- (Rupees Nine Lakh Eighty One Thousand Only)	Rs. 98,100/- (Rupees Ninety Eight Thousand One Hundred Only)	Physical
(Loan Code: 84410000823 of Jodhpur Branch), Kaluram S/o Fadman (Borrower), Mira W/o Kaluram (Co-Borrower1)	12-May-25 Rs. 540225/-	Plot No.- 181, Khasra No.- 94/8, Shri Salasar Heritage, Village - Dasuriya Kharabon, Jodhpur, Rajasthan, 342001 Bounded by: East: Rasta 30Ft West: Plot No.- 195 North: Plot No.- 180 South: Plot No.- 182	Rs. 5,06,250/- (Rupees Five Lakh Six Thousand Two Hundred Fifty Only)	Rs. 50,625/- (Rupees Fifty Thousand Six Hundred Twenty Five Only)	Physical

1. Last Date of Submission of DD of Earnest Money Deposit along with KYC, Tender Form and accepted Terms and conditions (Tender Document) is 25-Sep-25 within 5.00 PM at the Branch Office address mentioned herein above or uploaded on https://bankauctions.com. Tenders documents received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD.
2. Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is 26-Sep-25 on https://bankauctions.com at 10.00 AM, to 11.00 AM.
3. AHFL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the property as mentioned above. The Property shall be auctioned on "As Is Where Is Basis", "As Is What Is Basis" and "Whatever Is There Is Basis".
4. The Demand Draft Should be made in favor of Aadhar Housing Finance Limited Only.
5. Auction/bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website https://bankauctions.com. Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the e-auction sale proceedings.
6. The intending bidders should register their names at portal M/s C 1 INDIA PVT LTD through the link https://bankauctions.com/ [illegible] and get their User ID and password free of cost. Prospective bidder may avail online training on E-auction from the service provider M/s C 1 INDIA PVT LTD through the website https://bankauctions.com
7. For further details contact Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited, Gaurav Kumar Saini (7738411189) OR the service provider M/s C 1 INDIA PVT LTD, Mr. Prabhakaran, Mobile No: +91-74183 41709, E-mail: tn@c1india.com, support@bankauctions.com, Phone No: +917291981124/25/26. As on date, there is no order restraining and/or court injunction AHFL/the authorized Officer of AHFL from selling, alienating and/or disposing of the above immovable properties/secured assets.
8. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aadhar Housing Finance Limited (AHFL), secured creditor's website i.e. www.aadharhousing.com.
9. The Bid incremental amount for auction is Rs.10000/-.
10. This newspaper publication and the data contained herein is intended for general public dissemination. Any reproduction, distribution, transmission, or republication of this content, in whole or in part, in any form or by any means, whether print, digital, electronic publication in any form, e-mail or web publications, or otherwise through any mode is strictly prohibited. Any unauthorised use of the above content through any mode may result in appropriate legal action by AHFL.

Place: Ajmer, Jodhpur Date: 27.08.2025

Sd/- Authorised officer
Aadhar Housing Finance Limited

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (11) [illegible] 2023 — जयपुर, दिनांक – 13.05.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

विषय – Diversion of 0.87 ha. of forest land in favour of Publicks Development for Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata.

संदर्भ – प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/ROAD/1[illegible]96/2017)

महोदय,

[illegible] Diversion of 0.87 ha. of forest land in favour of Publicks Development for Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata [illegible] –

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible] OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) [illegible]
11. [illegible] 13-2/2010-CAMPA [illegible] 04.06.2014 [illegible] OSMFWP [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible] 7-23/2012 [illegible] 24.07.2013 [illegible] 07.11.2013 [illegible]

भवदीय,
([illegible])
[illegible]

DIPR/C/12033/2025

SALE UNDER PROVISIONS OF SARFAESI ACT, 2002 THROUGH PRIVATE TREATY

[illegible], Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) has taken the Possession u/s 13(4) of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The SARFAESI Act, 2002) of the properties ("the Secured Asset") given below. The Authorised Officer has received offer of Sale from active interested party against the above mentioned Secured Asset under the SARFAESI Act for recovery of the Secured Debt. Now, the Authorised Officer is hereby giving the Notice to Sale of the above said property through Private Treaty in terms of rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. The Details of the Account are as follows:

S. No.	Name of the Borrower(s) / Co-Borrower (s)	Demand Notice Date and Amount	Reserve Price	Total O/S Amount As on 14-July-25	Description of Secured Asset (immovable property)
1.	(Loan Code: 8421[illegible] of Ajmer Branch), Mohammed Akram (Borrower), Salma W/o Aslu (Co-Borrower) Husain Ali (Guarantor1)	09-Jan-24 Rs. 729004/-	Rs. 520000/-	Rs. 1043785/-	Kanchan Nagar, Ashiyana Colony, Daurai, Ajmer Sector-01, Kanchan Nagar Locality, Northern Part of P.No.-04 Ajmer AJMER RAJASTHAN 305001, Ajmer RAJASTHAN 305001 Bounded by: East: Public Road 30 Ft., West: Part of Plot No. 4, North: Plot of [illegible], South: Part of Plot No. 04

The Authorised officer will hold auction for sale of the Secured Asset on "As is where is Basis", "As is what is basis" and "whatever is there is basis". AHFL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the said property. The Authorised Officer reserves the right to accept or reject the offer without assigning any reason whatsoever and sale will be subject to confirmation by Secured Creditor. On the acceptance of offer of proposed buyer, he/she is required to deposit 25% of accepted price inclusive adjustment of Earnest Money Balance immediately and the balance amount shall be paid by the purchaser within 15 (fifteen) days from date of acceptance of Offer by the Secured Creditor. The proposed buyer is to note that in case of failure of payment of balance amount by him/her within the time specified, the amount already deposited shall stand forfeited and property will be resold accordingly. This is 15 DAYS SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT, 2002 is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Co-Borrower (s) and Guarantor (s) that the above described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" and to the amount due to Aadhar Housing Finance Ltd., in full before the date of sale, auction is liable to be stopped. This newspaper publication and the data contained herein is intended for general public dissemination. Any reproduction, distribution, transmission, or republication of the content, in whole or in part, in any form or by any means, whether print, digital, electronic publication in any form, e-mail or web publications, or otherwise through any mode is strictly prohibited. Any unauthorised use of the above content through any mode may result in appropriate legal action by AHFL.

The date of Auction is fixed for: 16-09-25

Place: Ajmer Date: 27.08.2025

(Authorized officer)
For Aadhar Housing Finance Limited

YES BANK

Branch Office: 4th Floor, Anand Bhawan, Plot No. 387, Subhash Chandra Road, Chowkri Modi, Jaipur - Raj. - 302001
Registered Office: Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055

Sale Notice For Sale Of Immovable Properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower and Co-Borrower (s)/ Guarantor (s) and Mortgagor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Yes Bank Ltd. i.e. Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on 24-09-2025 for recovery of below mentioned dues subject to further interest and charges [illegible] due to the Secured Creditor from below mentioned Borrower / Co-Borrower / Guarantor / Mortgagor.

Sr. No.	Names of the Borrowers / Co-Borrowers / Guarantors / Mortgagors	Outstanding Dues to be recovered (Secured Debt)	Description of Property	Reserve Price & EMD (In Rs.)
1.	(Loan Account No. AFH004100857178 & AFH004100853178) (1) Mr. Jitendra Singh (Borrower & Mortgagor) (2) Mrs. Sampat Kanwar W/o Mr. Karan Singh Rathore (Co-Borrower & Mortgagor)	Rs. 34,45,914.32/- (Rupees Thirty Four Lakh Forty Five Thousand Nine Hundred Fourteen and Paise Thirty Two Only) as on 15th December, 2022	All the piece and parcel of Plot No. 34, Khasra No. 1517, Situated at [illegible] Nagar, Balesar, Village Pal, Jodhpur, Rajasthan Admeasuring 180.0 Sq. Yd. Bounded By: North: Plot No. 33 South: Plot No. 35 East: 30 Ft. Road West: Plot No. 19	Rs. 24,30,000/- (Rupees Twenty Four Lakh Thirty Thousand Only); Rs. 2,43,000/- (Rupees Two Lakh Forty Three Thousand Only)

Date and time of e-auction: 24-Sep-2025, 11 am to 2 pm with extension of 5 minutes each.
Last date for submission of bid: 23-Sep-2025
Date of Inspection of Property: 15-Sep-2025

Sr. No.	Names of the Borrowers / Co-Borrowers / Guarantors / Mortgagors	Outstanding Dues to be recovered (Secured Debt)	Description of Property	Reserve Price & EMD (In Rs.)
2.	Loan Account No. AFH002400542249 (1) Mr. Rajesh Kumar Sharma (Borrower & Mortgagor) (2) Mrs. Laxmi Sharma (Co-Borrower & Mortgagor)	Rs. 7,87,168.44/- (Rupees Seven Lakh Eighty Seven Thousand One Hundred Sixty Eight and Paise Forty Four Only) as on 29th October, 2022	All the piece and parcel of Flat No. E-609, 6th Floor, Ensemble Project, Khasra No. 26/1226, 28, 29 [illegible] Road, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan Admeasuring Carpet Area 300.00 Sq. Ft.	Rs. 14,15,000/- (Rupees Fourteen Lakh Fifteen Thousand Only); Rs. 1,41,500/- (Rupees One Lakh Forty One Thousand Five Hundred Only)

Date and time of e-auction: 24-Sep-2025, 11 am to 2 pm with extension of 5 minutes each.
Last date for submission of bid: 23-Sep-2025
Date of Inspection of Property: 15-Sep-2025

Sr. No.	Names of the Borrowers / Co-Borrowers / Guarantors / Mortgagors	Outstanding Dues to be recovered (Secured Debt)	Description of Property	Reserve Price & EMD (In Rs.)
3	Loan Account No. MOR002420877878 (1) Mr. Rakesh Chettari (Borrower & Mortgagor) (2) Mrs. Shashi Chettara (Co-Borrower & Mortgagor)	Rs. 57,63,048.93/- (Rupees Fifty Seven Lakh Sixty Three Thousand Forty Eight and Paise Ninety Three Only) as on 22th September, 2023	All the piece and parcel of the Flat No. G-101 on Ground Floor, Shyama Residency, Situated at Plot No. 7 & 8, Parmeshwar Ji ka Bagh, Moti Doongri Road, Jaipur, Rajasthan Admeasuring Built Up Area 1297.00 Sq. Ft. Bounded By: North: Road, South: Ganguni Park, East: P.No. 6, West: P.No. 9	Rs. 57,65,000/- (Rupees Fifty Seven Lakh Sixty Five Thousand Only); Rs. 5,76,500/- (Rupees Five Lakh Seventy Six Thousand Five Hundred Only)

Date and time of e-auction: 24-Sep-2025, 11 am to 2 pm with extension of 5 minutes each.
Last date for submission of bid: 23-Sep-2025
Date of Inspection of Property: 15-Sep-2025

Sr. No.	Names of the Borrowers / Co-Borrowers / Guarantors / Mortgagors	Outstanding Dues to be recovered (Secured Debt)	Description of Property	Reserve Price & EMD (In Rs.)
4	(Loan Account No. AFH004101027894 & AFH004101027895) (1) Mr. Fwad Jawaan (Borrower) (2) Mrs. Pavit Jawaan (Co-Borrower)	Rs. 30,29,011.89/- (Rupees Thirty Lakh Twenty Nine Thousand Eleven and Paise Eighty Nine Only) as on 30-October-2024	All that piece and parcel of Flat No. F-1, First Floor, Plot No. 384, "Poonam Panchsheel Paal Road Tapovan", Khasra No. [illegible], Green Compound, Tehsil & Dist. Jodhpur, Rajasthan Admeasuring [illegible] Sq. Ft. and owned by Mr. Vinod Jawaan and same bounded as under: North: 20 Ft. Road South: Lift, Stairs, & Flat No. F-2, East: Plot No. 387 West: Boundary of Compound [illegible]	Rs. 26,60,000/- (Rupees Twenty Six Lakh Sixty Thousand Only); Rs. 2,66,000/- (Rupees Two Lakh Sixty Six Thousand Only)

Date and time of e-auction: 24-Sep-2025, 11 am to 2 pm with extension of 5 minutes each.
Last date for submission of bid: 23-Sep-2025
Date of Inspection of Property: 15-Sep-2025

Sr. No.	Names of the Borrowers / Co-Borrowers / Guarantors / Mortgagors	Outstanding Dues to be recovered (Secured Debt)	Description of Property	Reserve Price & EMD (In Rs.)
5	[illegible]	Rs. 7,10,51,531.77/- [illegible] as on 11th November, 2022	[illegible]	Rs. 5,78,20,000/- [illegible]; Rs. 57,82,000/- [illegible]

Date and time of e-auction: 24-Sep-2025, 11 am to 2 pm with extension of 5 minutes each.
Last date for submission of bid: 23-Sep-2025
Date of Inspection of Property: 15-Sep-2025

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in https://www.yesbank.in/ [illegible] In case of any difficulty in obtaining Tender Documents/bidding catalogue or inspection of the Immovable Properties/Secured Assets and for Queries, Please Contact Concerned Officials of YES BANK LTD., Mr. Hitesh Khandelwal [illegible] Manish Kumar on 8742387855/8250003000 or Email : [illegible] Officials of M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) Ahmedabad, Bidder Support Numbers : 8265562821, 079-61200594/548/596/587/538, Email: [illegible] and [illegible]. For any further query, interested buyers may write to us on the e-mail id [illegible]

SALE NOTICE TO BORROWER / GUARANTORS / MORTGAGOR

The above shall be treated as Notice U/s. 8(6) read with 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, to the Obligants to pay the same within 15 days from the date of publication

Date: 22 August 2025
Place: All Rajasthan

For Authorized Officer,
YES BANK Limited

PUBLIC NOTICE

Date: 26.08.2025

This is to bring to the knowledge of the public at large that our client and its [illegible] companies are intending to lease/purchase land admeasuring 274.6953 Hectares corresponding to approximately 678.7836 Acres in the following Survey/Khasra Numbers of Shivshankar Nagar village (Patwar Halka Balera) in Chitalwana Tehsil of Jalore district of Rajasthan from its present owners stated in table.

Sr. No.	Village	Tehsil	District	Khasra Number	Farmer Name	Area in Hectare	Area in Acre
1	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	154	Vikramaditya Singh Deora	5.0800	12.5529
2	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	155	Vikramaditya Singh Deora	6.1200	15.4170
3	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	156	Vikramaditya Singh Deora	8.1400	20.2086
4	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	170	Vikramaditya Singh Deora	6.1600	15.2217
5	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	173	Vikramaditya Singh Deora	1.2300	1.9813
6	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	2249/311, 2250/311, 2252/313, 2253/313, 268, 269, 312	Alyesh son of Kunarchand and 5 others	2.2900	5.6783
7	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	2216/314, 2240/314, 2256/315, 2255/315, 2254/314, 2263/316, 230	Aaraj son of Bharmal and 7 others	9.1204	22.5370
8	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	2276/376	Ganpatsingh son of Modsingh	2.3500	5.8070
9	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	2192/264, 275, 279, 278, 281, 280, 266, 288, 287, 291, 292, 293, 377/1180	Amarkanwar wife of Prithviraj Singh and 25 others	40.1400	99.1879
10	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	361	Jai Singh son of Kanar Singh and 4 others	22.3811	55.7963
11	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	2265/2122, 2266/2122	Dharmendra Kumar son of Gorakhchand Sanghvi and 2 others	6.1832	15.2790
12	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	2103/320, 2102/320	Dharmendra Kumar son of Gorakhchand Sanghvi and 1 other	11.4700	28.3429
13	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	2272/348, 344, 2271/348	Manaram son of Udaram and 1 other	12.0400	29.7513
14	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	274, 273, 272, 271, 270, 245, 235, 248/1945, 246	Ouna daughter of Dana and 17 others	20.9000	51.7932
15	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	221, 222, 223, 2224/2178	Kishore Sahu son of Ramesh Kumar and 1 other	8.2400	15.4194
16	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	269, 2073/376, 372/1920, 293	Jasasingh son of Modsingh	9.3811	23.1764
17	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	241, 247, 240, 219, 218, 248, 117, 216, 214, 215, 623/1946, 207, 210, 211	Narayansingh son of Bhagraj and 3 others	39.6200	75.1933
18	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	2246/327, 2241/327, 2258/348, 2259/349, 311/1948, 318, 319, 325, 350	[illegible] wife of [illegible]	31.2796	77.3311
19	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	207, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 240, 241, 247, 248, 423/1946	Narayansingh son of Bhagraj and 3 others	29.6200	73.1923
20	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	168, 188, 189, 190/1946, 191, 192, 233, 236, 237, 234, 337	Amarkanwar wife of Prithviraj Singh and 23 others	40.1500	99.0075
21	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	2263/399	Jagsingh son of Motisingh	1.7800	4.3985
22	Shivshankar Nagar	Chitalwana	Jalore	390, 376	Dalpatsingh son of Modsingh	2.7800	6.8696
					Total Land	274.6953	678.7836

The persons stated above have represented that the aforesaid property is free from all encumbrances, charges, liens and the Owners have not entered into any agreement, Lease, MoU's etc., qua the aforesaid property and there are no legal impediments etc. for them to transfer the same to our client, based on which our client has agreed to lease/purchase the aforesaid Property.

All/Any person(s)/ companies/ entities, authority, agency, banks, financial institutions, credit society or any third party having any right, title, interest, benefit, claim or demand into, upon or against the aforementioned Property or any part thereof, by way of inheritance, mortgage, possession, sale, exchange, easement, license, gift, will, lease, lien, charge, trust, maintenance, bequest, encumbrance, development rights, partnership, joint venture, Decree or Order of any Court of Law, notice of acquisition, hypothecation or under any other agreement/arrangement whatsoever are hereby requested to make the same known in writing to the undersigned at the address specified herein below with supporting documentary evidence in support within 7 (Seven) days of issuance of this Public Notice, failing which the claim and/or objection, if any, shall be considered as waived/ abandoned and our client shall complete the lease/purchase of the above referred Property without any reference to such claim or demand/ objection.

[illegible]

Office Address: [illegible]

Jaipur

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (31) वन/2022 जयपुर, दिनांकः- 12.05.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर

विषयः- Diversion of 0.87 ha. of forest land in favour of Publicks Development for Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata.
संदर्भः- प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/ROAD/13396/2017)

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड अजमेर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में बी.टी. मजेवाला, जिला अजमेर में मजेवाला से पचमाता किमी 0/0 से 2/500 किमी तक सडक निर्माण हेतु कुल 0.87 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.87 ha. of forest land in favour of Publicks Development for Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करायेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वतर्मान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal द्वारा सृजित द्वारा जमा की जायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
14. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करायें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी

DIPR/C/12033/2025

1534 वरिष्ठजन रेल और 184 हवाईयात्रा से करेंगे तीर्थ स्थलों के दर्शन

वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2025-26 : जिले में लॉटरी से 1719 बुजुर्गों का चयन

कार्या./अजमेर। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2025-26 के लिए इस वर्ष अजमेर जिले से 1,719 श्रद्धालु चयनित हुए हैं। इनमें से 1534 वरिष्ठजन रेल यात्रा व 184 हवाई यात्रा करेंगे। देवस्थान विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश बच्चानी के अनुसार प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनकी आस्था, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जोड़े रखने के लिए सतत प्रयासरत है। इसी के अंतर्गत जिला कलक्टर लोक बन्धु ने जिले के वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के अंतर्गत लॉटरी निकाली। उन्होंने चयनित आवेदकों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों की आस्था और सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है। इस योजना के माध्यम से वरिष्ठजनों को धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलने के साथ यह यात्रा उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति भी प्रदान करेगी।

जिले से प्राप्त आवेदन व चयन

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत जिले से 4 हजार 638 आवेदन प्राप्त हुए। इसके लिए 7 हजार 192 व्यक्तियों की ओर से आवेदन किया गया। लॉटरी द्वारा 1719 वरिष्ठ नागरिकों को चयनित किया गया है। इनमें से 1534 वरिष्ठजन रेल यात्रा तथा 184 वरिष्ठजन हवाई यात्रा के लिए चयनित हुए हैं। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ राम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर वंदना खोरवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़, सीएमएचओ डॉ. ज्योत्सना रंगा सहित सहायक आयुक्त देवस्थान एवं सहायक निदेशक पर्यटन योगेश यादव एवं डीओआईटी से उपनिदेशक वेद रतन उपाध्याय, वरिष्ठजन भी उपस्थित थे।

इन तीर्थ स्थलों की करेंगे यात्रा

रेल द्वारा यात्राओं में हरिद्वार-ऋषिकेश-अयोध्या-वाराणसी-सारनाथ, मथुरा-वृन्दावन-बरसाना-आगरा-अयोध्या, द्वारिकापुरी-नागेश्वर-सोमनाथ, तिरुपति, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, वैष्णोदेवी, महाकालेश्वर उज्जैन-ओंकारेश्वर सहित अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल सम्मिलित हैं। वहीं हवाई यात्रा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे।

दरगाह से बैनर हटाने पर अंजुमन ने जताई नाराजगी

पुलिस उप अधीक्षक को दिया शिकायती पत्र

कार्या./अजमेर। अंजुमन सैयद जादगान अंजुमन ने दरगाह कमेटी पर जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में आकर्षक रोशनी व फूलों से आकर्षक सजावट करने में व्यवधान डालने का आरोप लगाते हुए पुलिस उप अधीक्षक दरगाह को पत्र दिया है।

हुआ यूं दरगाह परिसर में जश्ने-ईद-मिलादुन्नबी के लिए अंजुमन ने कई जगह बैनर लगाए। जिन पर पूर्व की तरह जश्ने ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद लिखने की बजाय सजावट कार्य और लंगर का आयोजक अंजुमन द्वारा करवाने की जानकारी लिखी थी। इसकी सूचना मिलने पर दरगाह कमेटी कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों के निर्देश पर उक्त बैनर हटवा दिए। इस पर अंजुमन सचिव सैयद सरवर चिश्ती, उपाध्यक्ष सैयद कलीमुद्दीन व सदस्य सैयद असलान चिश्ती मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बैनर उतारने पर गुस्सा जताते हुए दरगाह नाजिम व सहायक नाजिम पर कई आरोप लगाए। साथ ही सजावट नहीं करने देने और महफिलखाना में सजावट का सामान नहीं रखने देने का आरोप लगाते हुए पुलिस उप अधीक्षक को पत्र देकर कमेटी अधिकारियों-कर्मचारियों पर दरगाह परिसर का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दरगाह कमेटी द्वारा पुनः बैनर लगा देने और महफिलखाना में रखा हुआ सामान का वीडियो भी जारी किया है। उधर कमेटी कर्मचारियों ने बताया कि सजावट का सामान चांद रात से रखना शुरू हो गया था।

राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक में चर्चा

कार्या./अजमेर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश [illegible] गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर व राजस्व मंडल के अतिरिक्त रजिस्ट्रार उपस्थित हुए। प्राधिकरण सचिव एवं अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी जिंदल के अनुसार बैठक में पक्षकारों की सहमति से निस्तारित हो सकने वाले अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित करने की आवश्यकता बताई गई। जिससे उक्त प्रकरणों के पक्षकारों के बीच समझौता का प्रयास किया जा सकेगा।

दो जगहों पर लगे विधिक जागरुकता शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र रमेश मालो ने मंगलवार को अपना थियेटर द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पुनर्वास केन्द्र परिसर में विधिक जागरूकता शिविर लगाया। इसी तरह अधिकार मित्र दीपक कुमार ठाकुर ने दयानंद बाल सदन केसरगंज में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। दोनों ने शिविर में उपस्थित लोगों को उनके अधिकार व कानूनों सहित विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी दी।

निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान

म्यूचुअल फंड्स के बारे में और अधिक जानने के लिए इसमें अवश्य भाग लें.

[illegible]

शनिवार, 30 अगस्त 2025 [illegible]

[illegible] 1/15-बी, [illegible]

अजमेर - 305 001, राजस्थान

[illegible]

HDFC

An Investor Education and Awareness Initiative

[illegible]

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

DRA 383873

निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ ट्रिपिंग करो कम

डिस्कॉम्स चेयरमैन डोगरा ने दिए निर्देश

कार्या./अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम) के पंचशील स्थित मुख्यालय में मंगलवार को डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इसमें प्रबंध निदेशक के.पी. वर्मा ने पावर प्वॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से अजमेर डिस्कॉम की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों एवं चल रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।

चेयरमैन ने उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने ट्रिपिंग में कमी लाने, सभी श्रेणी के नए कनेक्शन (घरेलू, अघरेलू, कृषि एवं औद्योगिक) को समयबद्ध जारी करने, बिजली चोरी रोकने, डिफेक्टिव मीटर को प्राथमिकता से बदलने तथा उपभोक्ता सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्य डोगरा ने कुसुम योजना एवं आरडीएसएस योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, आधुनिक तकनीक और नवाचारों का उपयोग कर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं विश्वसनीय बनाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में निदेशक (तकनीकी) मुकेश चंद बाल्दी, मुख्य लेखा नियंत्रक एस.के. गोयल, मुख्य अभियंता एस.एल. मीना, मुख्य अभियंता अशोक कुमार, अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजीव वर्मा, सचिव (प्रशासन) शोभा शर्मा, टाटा पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार शर्मा सहित अजमेर डिस्कॉम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सुरक्षित डिजिटल भुगतान के लिए टाटा पावर ने लगाई पीओएस मशीनें

कार्या./अजमेर। टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टाटा पावर) ने अब अजमेर शहर के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अपने सभी कैश काउंटरों पर आईसीआईसीआई पीओएस मशीनें स्थापित की हैं। इससे उपभोक्ता अब अपने बिजली बिल, जांच वर्क, डिमांड नोट एवं अन्य भुगतानों का निपटान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई (भीम, फोन-पे, गूगल-पे आदि) जैसे विविध डिजिटल विकल्पों से कर सकेंगे। कंपनी के सीआरओ लक्ष्मीकांत शर्मा के अनुसार यह पहल भारत सरकार की कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया पॉलिसी के अनुरूप है।

पीओएस मशीन से भुगतान की सरल प्रक्रिया

उपभोक्ता अपना बिजली बिल / डिमांड नोट लेकर टाटा पावर के कैश काउंटर पर आएं। बिल की राशि पीओएस मशीन में दर्ज कर क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। क्यूआर कोड को भीम, फोन पे, गूगल पे आदि यूपीआई एप से स्कैन कर अथवा डेबिट / क्रेडिट कार्ड से तुरंत भुगतान कर सकेंगे। सफल भुगतान के उपरांत उपभोक्ता को तुरंत डिजिटल रसीद / स्लिप प्राप्त होगी।

पीओएस मशीन के लाभ

उपभोक्ता को कतार से मुक्ति मिलेगी। बिजली बिल जमा करवाने के लिए नकद रुपए रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एवं डिजिटल रसीद से लेन-देन की स्पष्ट पुष्टि की सुविधा उपलब्ध होगी।

सीईओ ने उपभोक्ताओं से कराया शुभारंभ

पीओएस मशीनों का शुभारंभ कंपनी के सीईओ सुनील कुमार शर्मा ने वैशाली नगर स्थित पावर हाउस में बिजली उपभोक्ता से ही करवाया। उन्होंने बताया कि सभी कैश काउंटरों पर पीओएस मशीनें उपलब्ध हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में लगभग 85 प्रतिशत उपभोक्ता पहले से ही यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं।

चैक अनादरण के दो प्रकरणों में दोषियों को सजा

कार्या./अजमेर। चैक अनादरण प्रकरण की विशिष्ट न्यायालय संख्या 2 हिमानी जैन ने 80 हजार रुपए का चैक अनादरित होने के आरोपी सलीम मुगल को दोषी मानते हुए तीन माह की साधारण कैद व 1 लाख 20 हजार रुपए प्रतिकर राशि देने की सजा दी है। प्रकरण के अनुसार राजीव कॉलोनी निवासी भगत सिंह ने एडवोकेट यश रावत व राजकुमार सिंह के जरिए परिवाद पेशकर अदालत को बताया कि आरोपी ने उससे 80 हजार रुपए उधार लेकर उक्त राशि चुकाने के लिए चैक दिया था। बैंक ने चैक अनादरित कर दिया। अदालत ने सुनवाई करने के बाद सलीम मुगल को दोषी मानते हुए दंडित किया है।

इसी अदालत ने 67 हजार रुपए का चैक अनादरित होने के आरोपी नगवाना निवासी इमरान खान को दोषी मानते हुए तीन माह का साधारण कारावास एवं 1 लाख रुपए प्रतिकर देने की सजा दी है। दरगाह क्षेत्र निवासी दीवान साहब की हवेली में रहने वाले मकसूद अहमद ने एडवोकेट दीपचंद जेठवार के जरिए परिवाद पेशकर अदालत को बताया था कि आरोपी ने उससे 67 हजार रुपए उधार लेकर उक्त राशि चुकाने के लिए चैक दिया था। जिसे बैंक ने अनादरित कर दिया। अदालत ने प्रकरण की सुनवाई कर इमरान खान को दोषी मानते हुए दंडित किया है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018

[illegible] / 2025/ दिनांक: As per E-sign

:: विज्ञप्ति ::

बोर्ड द्वारा दिनांक 02.06.2025 से 18.06.2025 तक आयोजित [illegible] - 2025, [illegible] - 2024 [illegible] - 2024 हेतु आयोजित परीक्षा के [illegible] आमंत्रित की गई हैं।

S.no	Exam Name	Date & Shift	Exam Code
1	[illegible] भर्ती - 2025	2/6/2025 & Morning	[illegible]
2	[illegible] भर्ती - 2025	2/6/2025 & Evening	[illegible]
3	[illegible] भर्ती - 2025	3/6/2025 & Morning	[illegible]
4	[illegible] भर्ती - 2025	3/6/2025 & Evening	[illegible]
5	[illegible] भर्ती - 2025	4/6/2025 & Morning	[illegible]
6	[illegible] भर्ती - 2025	5/6/2025 & Morning	[illegible]
7	[illegible] भर्ती - 2025	5/6/2025 & Evening	[illegible]
8	[illegible] भर्ती - 2025	6/6/2025 & Morning	BF450
9	[illegible] भर्ती - 2025	8/6/2025 & Evening	[illegible]
10	[illegible] भर्ती - 2025	8/6/2025 & Morning	DF561
11	[illegible] भर्ती - 2025	9/6/2025 & Morning	218L2
12	[illegible] भर्ती - 2025	9/6/2025 & Evening	HZ500
13	[illegible] भर्ती - 2025	10/6/2025 & Morning	[illegible]
14	[illegible] भर्ती - 2025	10/6/2025 & Evening	[illegible]
15	[illegible] भर्ती - 2025	11/6/2025 & Morning	[illegible]
16	[illegible] भर्ती - 2025	11/6/2025 & Evening	[illegible]
17	[illegible] भर्ती - 2025	12/6/2025 & Morning	7305E
18	[illegible] भर्ती - 2025	12/6/2025 & Evening	PJ971
19	[illegible] भर्ती - 2025	13/6/2025 & Morning	GA308
20	[illegible] भर्ती - 2024	15/6/2025 & Evening	[illegible]
21	[illegible] भर्ती - 2024	18/6/2025 & Morning	P68

ऑनलाइन आपत्तियां दिनांक 25.08.2025 समय 00:01 बजे (मध्य रात्रि) से दिनांक 30.08.2025 समय 23:59 बजे (मध्य रात्रि) तक दर्ज कराई जा सकती हैं। विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(डॉ. भी. भी. [illegible])
सचिव

DIPR/C/12214/25/A/E

वोटर लिस्ट पर कड़ी नजर रखने की जरूरत

राठौड़ ने कांग्रेस बीएलए की ली बैठक

कार्या./अजमेर। आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने मंगलवार को पार्षद नीरज गुर्जर के सिविल लाइन स्थित ऑफिस में अजमेर उत्तर के शास्त्री नगर मंडल क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त बीएलए से मुलाकात कर उन्हें मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान कार्यक्रम के प्रति गंभीर होकर कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कोई भी वास्तविक मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में आने से वंचित ना रहे तथा बोगस मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ सकें, हमें आवश्यक रूप से इस बात की निगरानी रखनी होगी। इस दौरान पार्षद गुर्जर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेन्द्र अग्रवाल, पूर्व पार्षद सर्वेश पारीक, मंडल अध्यक्ष गणेश चौहान, आरिफ खान, हंसराज खारोलिया, निर्मल पारीक, मुन्नालाल बैरवा, बीएलए गुलाम सेठ, डॉ.एस.डी. मिश्रा, देवेंद्र नलिया, विकास खाटीक, चतरदास, ओमप्रकाश, योगेश, भागचंद व विक्की मेघवाल आदि मौजूद रहे।

अभिनव-यथार्थ ने पुरुष और सुनिधि और कक्श्या ने महिला वर्ग का खिताब जीता

अजमेर। इंडोर स्टेडियम में अजमेर जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से खेली जा रही प्रथम राज्य स्तरीय रैंकिंग प्रतियोगिता में मंगलवार को युगल के फाइनल मुकाबले खेले गए।

अण्डर 17 पुरुष वर्ग युगल के फाइनल मुकाबले में कोटा के अभिनव पंवार और यथार्थ की जोड़ी ने बीकानेर के प्रियांशु भाटी और विश्वानंद की जोड़ी को हराकर खिताब जीता। महिला वर्ग में जोधपुर की सुनिधि चौहान और कक्श्या गहलोत की जोड़ी ने बीकानेर की अंजली सिंह और प्रियांशी मिश्रा की जोड़ी को हराकर पहला स्थान हासिल किया।

एकल अंडर 17 महिला वर्ग में मानविका ने साक्षी को सीधे सेटों में 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। आयोजन सचिव प्रवीण ओझा के अनुसार बुधवार को पुरुष व महिला वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला खेल अधिकारी रामनिवास व मुकुल भार्गव ने विजेताओं को पुरस्कृत किया।

राज्य स्तरीय खेलकूद में श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल का उम्दा प्रदर्शन

अजमेर। वरुण सागर रोड स्थित श्री बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने सीबीएसई स्टेट लेवल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक-एक स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीतकर स्कूल का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता के दौरान अलग-अलग भार वर्ग में अंश मलिक ने स्वर्ण, दीपेन्द्र ने रजत और अमन ने कांस्य पदक जीता। इसी तरह राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में स्कूल के अरुण ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण व नंदनी मोलंकी ने लौंग जम्प में रजत पदक जीता। विद्यालय निदेशक राजेन्द्र गोदारा एवं प्रधानाचार्या सुनीता दत्ता ने सभी पदक विजेताओं को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

आज बिजली बंद

- सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक डिफेंस कॉलोनी, सीआरपीएफ, केन्द्रीय विद्यालय, जनता स्वीट्स, फॉयसागर रोड, ब्राइट इंडिया स्कूल, खरखेड़ी रोड, तलाई और आसपास।
- दोपहर 1 से दोपहर 2 बजे तक पुलिस पौधी, आनासागर रोड, प्रकाश कॉलोनी, वीर जैन मंदिर और आसपास।
- पूर्वाह्न 11 से दोपहर 2 बजे सूर्य नगर, सूफी मस्जिद एजी और आसपास।

सार समाचार

बाबा श्रीरामदेव का जागरण आज

कानपुर की शर्मा सिस्टर्स और जॉन अजमेरी देंगे भजनों की प्रस्तुति

अजमेर। आगरागेट चौराहे पर स्थित बाबा रामदेव मंदिर में बुधवार को 19वां वार्षिक जागरण आयोजित किया जाएगा। मंदिर व्यवस्थापक मंगेश परवा ने बताया कि इसमें कानपुर की शर्मा सिस्टर्स व अजमेर के जॉन अजमेरी की टीम के गायक कलाकार भजनों की प्रस्तुति देंगे। इसी तरह 29 अगस्त को मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है।

बुजुर्ग महिलाओं का घर जाकर किया सम्मान

अजमेर। श्री खाटूश्याम यात्रा सेवा समिति के तत्वावधान में वरिष्ठ महिला सम्मान समारोह के क्रम में मंगलवार को वार्ड 41 की 85 से [illegible] की बुजुर्ग महिलाओं का घर जाकर सम्मान किया गया। समिति के अध्यक्ष उत्तम सिंह ने बताया कि इन महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर व खाटूश्यामजी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

देशभक्ति गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति

अजमेर। राजस्थान सिंधी अकादमी के सहयोग से महाराजा दाहरसेन की 1356वीं जयंती के अवसर पर आशागंज स्थित स्वामी सर्वानन्द विद्या मन्दिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने महाराजा दाहरसेन के बलिदान से संबंधित नृत्य नाटिका एवं देशभक्ति नृत्य और गीतों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर रंग भरो एवं निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। प्रधानाचार्य ने दाहरसेन की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में स्कूल के अध्यक्ष रामस्वरूप विजयवर्गीय, प्रधानाचार्य उत्तम कुमार गोयल, रुक्मणी मतवानी, सीमा रामचन्दानी सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा।

सांस्कृतिक संध्या मुकेश नाइट आज

अजमेर। सुर सरगम संस्था की ओर से बुधवार को महान पार्श्वगायक स्व. मुकेश की पुण्यतिथि के अवसर पर एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष अनुपम सिंह राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम का टाइटल जीना इसी का नाम है रखा गया है। इसमें कलाकार गीतों से महान गायक मुकेश को श्रद्धांजलि देंगे।

नियोक्ता को दो महीने में ब्याज सहित पीएफ राशि देने का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से प्रार्थी महिला को मिली राहत

कार्या./अजमेर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने श्रीमती स्वाति पत्नी स्वर्गीय रोहित रजनीवाल का परिवाद स्वीकार कर मैसर्स एडीको इंडिया लि. खातीपुरा रोड जयपुर को आदेश दिया है कि वह परिवादिया को फॉर्म 10 डी एवं सुसंगत समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कर प्रमाणित करे तथा सभी आवश्यक सेवा रिकॉर्ड एवं वेतन/योगदान विवरण 5 दिनों में परिवादिया एवं विपक्षी पक्षकारों को उपलब्ध कराए और मृतक कर्मचारी रोहित रजनीवाल का पीएफ क्लेम प्रोसेस करते हुए सुसंगत पीएफ राशि मय ब्याज परिवादी को दो माह में भुगतान करें।

आयोग ने सहायक भविष्य निधि आयुक्त एवं प्रभारी जिला कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पुष्कर रोड अजमेर, रीजनल प्रोविडेंट फण्ड कमिश्नर भविष्य निधि विभाग जयपुर व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बंगलुरु को भी आदेश दिया है कि नियोक्ता/परिवादिया द्वारा प्रमाणन प्राप्त होने पर 15 दिवस में पेंशन स्कीम प्रोसेस करें। प्रमाण प्राप्त नहीं होने से परिवादिया का दावा नियोक्ता के सहयोग के बिना यथासंभव साक्ष्यों के आधार पर निपटाना सुनिश्चित करें तथा नियोक्ता के विरुद्ध समुचित कार्रवाई संपादित करें।

आयोग ने विपक्षी मैसर्स एडीको इंडिया लि. खातीपुरा रोड जयपुर को अनुचित विलंब, मानसिक वेदना तथा वाद व्यय के 25 हजार रुपए आदेश तिथि से एक माह के भीतर अदा करने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही आयोग ने उपभोक्ता हितों की अवहेलना के कारण विपक्षी फर्म को 25 हजार रुपए जुर्माना राशि राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष जयपुर में दो महीने में जमा कराने के आदेश भी दिए। प्रकरण के अनुसार हरिभाऊ उपाध्याय नगर निवासी श्रीमती स्वाति पत्नी स्वर्गीय रोहित रजनीवाल ने एडवोकेट जयप्रकाश शर्मा के जरिए परिवाद पेश कर अदालत को बताया कि उनका पति रोहित मैसर्स एडीको इंडिया लि. में कार्यरत थे। सेवाकाल के दौरान 9 अक्टूबर 2017 को पति रोहित का निधन हो गया। उसके पति प्रतिवादी संस्था में वर्ष 2010 से कार्यरत थे। वह कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य थे। इसलिए प्रतिवादी उनके वेतन से दोनों योजना के लिए निर्धारित अंशदान की कटौती करते थे। पति रोहित की मृत्यु होने पर पत्नी के रूप में उनकी विधिक वारिस होने पर परिवादी ने पति की भविष्य निधि एवं पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी रीजनल प्रोविडेंट फण्ड कमिश्नर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन किया था। उन्होंने उक्त आवेदन की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिवादी सहायक भविष्य निधि आयुक्त एवं प्रभारी जिला कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अजमेर को प्रेषित कर दिया था।

प्रतिवादियों ने परिवादी का आवेदन प्राप्त होना स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि उनके दोनों मदों का भुगतान कर दिया जाएगा किंतु इसके लिए प्रतिवादी नियोक्ता मैसर्स एडीको इंडिया प्रा. लि. उनके पति की सेवाकाल के संबंध में विभाग का निर्धारित प्रपत्र भरकर देना आवश्यक है। अनेक चक्कर लगवाने के बाद नियोक्ता ने उक्त प्रपत्र भरने से इंकार कर दिया और उक्त प्रपत्र व अन्य दस्तावेज डाक के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को भेजने की जानकारी दी। विभागीय कार्रवाई से परेशान होकर परिवादिया ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष आवेदन किया।

आयोग अध्यक्ष अरुण कुमावत, सदस्य दिनेश चतुर्वेदी और जयश्री शर्मा ने सभी पक्षों को सुनने व पत्रावली सहित अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद परिवादी श्रीमती स्वाति का प्रतिवादियों के विरुद्ध पेश क्लेम राशि दिलाने का वाद स्वीकार किया और नियोक्ता मैसर्स एडीको इंडिया प्रा. लि. को आदेश जारी होने से दो महीने के भीतर परिवादी को पीएफ राशि ब्याज सहित देने का आदेश दिया है।

भीम

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: [illegible] / 2023 जयपुर, दिनांक – 12.05.2023

[illegible]

[illegible] Diversion of 0.87 ha. of forest land in favour of Publicks Development for Construction of B.T. Road from Majnota to Pachmala [illegible]

संदर्भ:- प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/ROAD/133186/2017)

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]

DIPR/C/11703/23/A/D

भीम

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (31) वन / 2022 जयपुर, दिनांक:- 12.05.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.87 ha. of forest land in favour of Publicks Development for Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata.

संदर्भ:- प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/ROAD/133196/2017)

मदोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड अजमेर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा -2 में बी.टी. मजेवाला, जिला अजमेर में मजेवाला से पचमाता किमी 0/0 से 2/500 किमी तक सड़क निर्माण हेतु कुल 0.87 है., वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधीनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में **Diversion of 0.87 ha. of forest land in favour of Publicks Development for Construction of B.T. Road from Majewala to Pachmata** की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा ।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें ।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा ।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा
8. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर. ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा ।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence portal) द्वारा सृजित चालान द्वारा जमा की जायेगी। कार्यालय पता: वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी पश्चिमी, भवन निकाय राजस्थान जयपुर दूरभाष संख्या: 0141-2227762 mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 /2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010 - CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दुसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के बेवपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी । जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बेंक चालान / यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा ।
12. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा ।
14. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(मोनाली सेन),
विशेषाधिकारी

DIPR/C/12033/25/A/O

DNJ- 365845

[redacted]

Scanned with CamScanner